न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
01/2019	02-01-2019	01/02/19

उनवान

01. ममता शर्मा पत्नी श्री दिनेश चन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 67, पेपर फैक्ट्री के पीछे कापसहेड़ा दिल्ली।

------:: प्रार्थीया

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तिजारा भूमिधारी।

------:: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (लैण्ड रेवेन्यु एक्ट)

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 664 रकबा 0.1100 हे0 वाके ग्राम नौगावां तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 664 रकबा 0.1100 हे0 सहखातेदारान की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। उक्त हाल आराजी खसरा नम्बर 664 रकबा 0.1100 हे0 में से मिन प्रार्थीयां के नाम जरिये डिक्री हिस्सा प्राप्त हुआ है। जिसका नया हाल नम्बर 664/2 रकबा 0.0978 है. मिन प्रार्थीयां के नाम जरिये इंतकाल नं0 438/26-05-2017 प्राप्त हुआ है तथा मिन प्रार्थीयां के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज रिकार्ड है। मिन प्रार्थीयां को जरिये डिक्री प्राप्त हाल खसरा नम्बर 664/2 रकबा 0.0978 हे0 मिन प्रार्थीयां की तन्हा कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर मिन प्रार्थीयां बदस्तूर काबिज व दाखिल होकर काश्त करती आ रही है तथा मिन प्रार्थीयां का वास्तविक कब्जा है। आराजी खसरा नम्बर 664 का दिनांक 25.10.2018 को तहसीलदार तिजारा के आदेशानुसार हल्का पटवारी व कानूनगों ने मौके पर आकर आराजी का सीमाज्ञान व पैमाईश की गई व निशानात लगाये गये। जिस मौका पर्चा पर हल्का पटवारी व कानूनगों ने अपने हस्ताक्षर का मौका रिपोर्ट तहसीलदार तिजारा के समक्ष पेश की है। आराजी खसरा नम्बर 664 के बाद डिक्री मिन प्रार्थीयां को हाल आराजी खसरा नम्बर 664/2 रकबा 0.0978 है प्राप्त हुई है। प्रार्थीयां की उक्त आराजी खसरा नम्बर 664/2 रकबा 0.0978 है के साथ लगती हुई अन्य आराजी के खातेदारान प्रार्थीयां को उसकी आराजी में जबरन घुसकर मजाहमत व मदाखलत उत्पन्न करते है व पूर्व पैमाईश व मौका पर्चा को मानने को तैयार नहीं है। इसलिए न्यायहित में मिन प्रार्थीयां की आराजी खसरा नम्बर 664/2 रकबा 0.0978 है की पत्थरगढी कराया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। इसलिए मिन प्रार्थीयां को न्याय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (लैण्ड रेवेन्यु एक्ट) पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

हमने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दसतावेजों का गहनतापूर्वक अध्ययन ्या गया। आराजी खसरा नम्बर 664/2 रकबा 0.0978 वाके ग्राम नौगावां तहसील तिजारा जिला अलवर की मि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज रेकॉर्ड है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी कराने का ानूनी अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीयां के खातेदारी रकबे ो पूर्ण करते हुए तहसीलदार तिजारा प्रार्थीयां की भूमि की पत्थरगढी कराकर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।

आदेश सुनाया गया।

07/02/2024

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)